अनुदान संख्या 13 – दूरसंचार विभाग
GRANT No. 13 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	48756,63,00				
				48756,64,00	45154,70,97	-3601,93,03
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4807,75,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	30675,06,00				
				30675,07,00	8356,11,32	-22318,95,68
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					22315,14,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹480775.00 लाख) कुल बचतें ₹360193.03 लाख से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹480775.00 lakhs) exceeded the overall savings of ₹360193.03 lakhs.

Saving/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	67832.00	75853.91	66076.23	-9777.68
पु.	R.	8021.91			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	1398168.00	1448108.00	1492894.12	+44786.12
पु.	R.	49940.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	83230.00	..	..	..
पु.	R.	-83230.00			
मुख्य शीर्ष "3275"	Major Head "3275"				
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services				
मू.	O.	3326148.00	2870481.09	2956054.78	+85573.69
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-455667.91			

(I) ₹517130.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹517030.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹517130.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹517030.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अन्य संचार सेवाएं – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹80000.00 लाख; और

(ख) "अन्य व्यय – टेलिमेटिक्स विकास केंद्र" – ₹3230.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹66400.00 लाख – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा कार्य आरंभ न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(ख) "अन्य व्यय – 4जी स्पेक्ट्रम पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए अनुदान" – ₹367400.00 लाख – योजना का कार्यान्व्यन न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सम्बद्ध कार्यालय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र" – ₹1072.14 लाख की बचत (₹3891.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्यालय संबंधी खर्चों, लघु

(A) Major Head "2552" -

(a) "Other Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - ₹80000.00 lakhs; and

(b) "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - ₹3230.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3275" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - ₹66400.00 lakhs - due to non-commencement of operation by Universal Service Obligation Fund and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Other Expenditure - Grant for GST on 4G Spectrum" - ₹367400.00 lakhs - due to non-implementation of the scheme.

(II) Under Major Head "3451" - "Attached Offices" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Telecommunications Engineering Centre" - saving of ₹1072.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3891.00 lakhs) was due to requirement

कार्यों तथा कम दौरे किए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "सतर्कता टेलीकॉम मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ" – ₹3355.03 लाख की बचत (₹20897.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतनों तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) "संचार लेखा कार्यालय नियंत्रक" – ₹2947.24 लाख की बचत (₹20510.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल – पेंशन का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन" – ₹15552.58 लाख की बचत (₹112884.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावों की प्राप्ति" तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹6694.73 लाख की बचत (₹34400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत नेट परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण" – ₹80000.00 लाख की बचत (₹800000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

of less funds towards office expenses, minor works and less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic.

(B) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" - saving of ₹3355.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20897.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and other establishment related expenses.

(C) "Controller of Communication Accounts Offices" - saving of ₹2947.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20510.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and other establishment related expenses and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2071" - "Civil - Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of ₹15552.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹112884.00 lakhs) was due to receipt of less claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - saving of ₹6694.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34400.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Bharat Net Project and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Universal Service Obligation Fund" - saving of ₹80000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संबंधित कार्यकलापों का आयोजन" – ₹619.07 लाख की बचत (₹620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(C) "International Co-operation - Organising International Conferences and related activities in India" - saving of ₹619.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹620.00 lakhs) was due to organizing less International Conferences owing to COVID-19 pandemic.

(घा) "अन्य व्यय" –

(क) "आईटीआई बैंगलौर" – ₹21461.00 लाख की बचत (₹30001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमटीएनएल/बीएसएनएल के नियंत्रण वाले अधिमान्य शेयरों के मोचन के लिए कम दावों की प्राप्ति होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रशिक्षण" – ₹1130.86 लाख की बचत (₹1392.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "आईटीएस/बीडब्ल्यूएस अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹1415.44 लाख की बचत (₹1452.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने तथा कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(घ) "टेलीकॉम क्षेत्र में भावी प्रौद्योगिकी के नवोन्मेष तथा उद्‌भवन के संवर्धन हेतु चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए प्रावधान" – ₹1893.15 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङ) "स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले बीएसएनएल/एमटीएनएल कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन भुगतान" – ₹26650.74 लाख की बचत (₹329477.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Other Expenditure" -

(a) "ITI Bangalore" - saving of ₹21461.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30001.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards redemption of preferential shares held by MTNL/BSNL and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Training" - saving of ₹1130.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1392.00 lakhs); and

(c) "Training to ITS/BWS Officers" - saving of ₹1415.44lakhs (against the sanctioned provision of ₹1452.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and conduction of less training programmes owing to COVID-19 pandemic.

(d) "Provision for Champion Service Sector Scheme for Promotion of Innovation and Incubation of Future Technology of Telecom Sector" - saving of ₹1893.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(e) "Incremental Pension Payment to voluntarily Retiring BSNL and MTNL Employees" - saving of ₹26650.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹329477.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1991.12 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 99 प्रतिशत थी।

(V) Under five heads saving of ₹1991.12 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹127321.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष “3275” – “अन्य व्यय” – बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों को अनुग्रह भुगतान” – के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹127320.00 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹127321.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “3275” - “Other Expenditure - Ex-gratia Payment to BSNL and MTNL employees”. Actual excess, however, was ₹127320.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईंः–

(II) Saving were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “3451” – “सम्बद्ध कार्यालय” –

(A) Major Head “3451” - “Attached Offices” -

(क) “निदेशालय” – ₹4206.27 लाख का अधिक व्यय (₹16066.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऑनलाइन लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पीएम–वाणी परियोजना तथा अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थों के बिलों का निपटान करने के लिए निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(a) “Directorate” - excess of ₹4206.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16066.00 lakhs) was due to requirement of additional fund towards on-line license management system, PM-WANI project and clearance of bills of international arbitrators.

(ख) “केन्द्रीय मॉनीटरिंग प्रणाली – संचालना तथा अनुरक्षण” – ₹2057.93 लाख का अधिक व्यय (₹1755.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेशेवर सेवाओं तथा अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों के कारण हुआ।

(b) “Central Monitoring System - Operation and Maintenance” - excess of ₹2057.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1755.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards professional services and other establishment related expenses.

(खा) मुख्य शीर्ष “2071” – “सिविल” –

(B) Major Head “2071 - Civil” -

(क) “अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन” – ₹61801.84 लाख का अधिक व्यय

(a) “Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions” - excess of

(₹872622.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "उपदान – साधारण पेंशन" – ₹36443.18 लाख का अधिक व्यय (₹220443.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹12515.74 लाख का अधिक व्यय (₹188224.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति – सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति" – ₹73094.73 लाख का अधिक व्यय (₹619200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "अन्य व्यय" –

(i) "टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र" – ₹1738.00 लाख का अधिक व्यय (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "एमटीएनएल बॉंडों पर ब्याज का भुगतान" – ₹1122.64 लाख का अधिक व्यय (₹37200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमटीएनएल बॉंडों पर ब्याज के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

₹61801.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹872622.00 lakhs);

(b) "Gratuities - Ordinary Pensions" - excess of ₹36443.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220443.00 lakhs); and

(c) "Family Pensions - Family Pensions" - excess of ₹12515.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹188224.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to receipt of more claims.

(C) Major Head "3275" -

(a) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers" - excess of ₹73094.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹619200.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Centre for Development of Telematics" - excess of ₹1738.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Payment of Interest on MTNL Bonds" - excess of ₹1122.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of interest on MTNL bonds.

(iii) "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" – ₹2000.00 लाख का आधिक व्यय (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ट्राई (टीआरएआई) के स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(iii) "Telecom Regulatory Authority of India" - excess of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards establishment related expenses of TRAI.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, saving/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	50000.00	..	..	..
पु.	R.	-50000.00			
मुख्य शीर्ष "5275" अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	3007006.00			
पू.	S.	1.00	825493.00	825111.32	-381.68
पु.	R.	-2181514.00			

(I) ₹2092010.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹2092000.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹2092010.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹2092000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क" – ₹50000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग

(A) Major Head "4552" - "Capital Outlay on Other Communication Services - Other Expenditure - OFC based network for Defense Services" - ₹50000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on

कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष “5275” –

(क) “सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य – उपक्रमों में निवेश – बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम हेतु पूंजी वर्धन” – ₹2041000.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण 4जी के लिए संविदा में देरी की वजह से।

(ख) “अन्य व्यय – दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र” – ₹1000.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण और कोविड–19 महामारी के कारण कार्य के पूरा न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “5275” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “अन्य संचार सुविधाएं – कार्यालय भवन” – ₹1660.00 लाख की बचत (₹2100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल विंग द्वारा कार्यालय भवन को पूरा करने में विलंब के कारण हुई।

(खा) “अन्य व्यय” –

(क) “वायरलैस सैट तथा उपकरण” – ₹522.81लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण कम मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के कारण हुई।

(ख) “रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क” – ₹150000.00 लाख की बचत (₹950000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(B) Major Head “5275” -

(a) “Investment in Public Sector and other Undertakings - Capital Infusion for 4G Spectrum for BSNL and MTNL” - ₹2041000.00 lakhs - due to delay in tender for 4G owing to COVID-19 pandemic.

(b) “Other Expenditure - Telecom Testing and Security Certification Centre” - ₹1000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non- completion of work owing to COVID-19 pandemic.

(II) Under Major Head “5275” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Other Communication Facilities - Office Building” - saving of ₹1660.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2100.00 lakhs) was due to delay in completion of office building by civil wing.

(B) “Other Expenditure” -

(a) “Wireless Sets and Equipments” - saving of ₹522.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and procurement of less machinery and equipment owing to COVID-19 pandemic.

(b) “OFC Based network for Defence Services” - saving of ₹150000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1242.78 लाख की बचत हुई, जोकि प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 35 प्रतिशत से 99 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹13389.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण" – ₹11300.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹11299.50 लाख था।

(II) "संचार वित्त हेतु प्रशिक्षण संस्थान" – ₹1175.95 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1175.70 लाख था।

(III) "स्वदेशी 5 जी टेस्ट बेड" – ₹913.05 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹913.00 लाख था।

5. ***भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधि:–***

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्ययोग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया किया जाता है।

वर्ष 2020–21 की निधि का लेखा इस प्रकार था:–

(III) Under three heads saving of ₹1242.78 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 35 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly (₹13389.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head "5275" - "Other Expenditure" - under the following heads:-

(I) "Telecom Regulatory Authority of India" - ₹11300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11299.50 lakhs.

(II) "Training Institute for Communication Finance" - ₹1175.95 lakhs. Actual excess, however, was ₹1175.70 lakhs.

(III) "Indigenous 5G Test Bed" - ₹913.05 lakhs. Actual excess, however, was ₹913.00 lakhs.

5. ***Telecom Regulatory Authority of India General Fund:-***

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 enacted on 28th March 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 09th January 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The Grants for TRAI is made by the Central Government.

The Account of the Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	39,58,43
प्राप्तियां	Receipts	211,85,27
भुगतान	Payments	203,00,00
अंतशेष	Closing Balance	48,43,70

6. *सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि :–*

नई दूरसंचार नीति 99 (एनटीपी–99) – में सभी को सामर्थ्य योग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने की परिकल्पना की गई है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन सार्वभौमिक सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जो कि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाइसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रादाताओ से सार्वभौमिक सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और सार्वभौमिक सेवादायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2020–21 की निधि का लेखा इस प्रकार था:–

6. *Universal Service Obligation Fund :-*

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

The Account of the Fund for 2020-21 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य NIL
प्राप्तियां	Receipts	7200,00,00
भुगतान	Payments	7200,00,00
अंतशेष	Closing Balance	शून्य NIL